झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

संकल्प

विषयः- झारखण्ड राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में PG(Medical/MDS) तथा UG (MBBS/BDS) कोर्स में शतप्रतिशत नामांकित सीटों को बरकरार रखने, नामांकन नहीं लेने, बीच सत्र में महाविद्यालय छोड़ने पर आर्थिक दण्ड अधिरोपित करने हेतु पी0जी0 (डिग्री/डिप्लोमा) एवं यू0जी0 कोर्स में नामांकन के लिए निर्गत विभागीय संकल्प सं0 230(9) दिनांक-22.12.15 में संशोधन के संबंध में।

झारखण्ड राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में MBBS / PG कोर्स में नामांकन लेने के पशचात् कई छात्र अपना कोर्स बीच में छोडकर चले जाते है जिससे उन विषयों की सीटें रिक्त रह जाती है। उक्त के संदर्भ में पूर्व में निर्गत विभागीय संकल्प सं0 230(9) दिनांक 22.12.2015 में अंकित प्रावधानों को संशोधित करते हुए राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में निम्न व्यवस्था लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

i) All India Quota एवं State Quota के सीटों के विरूद्ध Under Graduate/Post Graduate Course कोर्स में नामांकन हेतु Final round of counselling द्वारा आवंटित सीटों में किसी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। यदि कोई छात्र Final counselling के उपरान्त आवंटित महाविद्यालय में नामांकन नहीं लेते हैं तो वैसे छात्रों को झारखण्ड में उक्त कोर्स में नामांकन हेतु NEET U.G./P.G. अथवा राज्य सरकार द्वारा नामित अन्य संस्थानों द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये अगले एक शैक्षणिक सत्र के लिये वंचित कर दिया जायेगा।

ii) राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में यू0जी0 (एम0बी0बी0एस0/ बी0डी0एस0) में नामांकन लेने वाले छात्रों से यह बंध-पत्र (Bond) लिया जायेगा कि चयन के पश्चात नामांकन नहीं लेने, तथा नामांकन के पश्चात् पाठ्यक्रम छोड़ने पर उनसे 20 (बीस) लाख रूपये की वसूली की जाएगी तथा इस अवधि में छात्रवृति (Stipend) एवं अन्य भत्ते के रूप में प्राप्त सभी राशि एकमुश्त वापस करनी होगी।

iii) राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में पी0जी0 पाठ्यक्रम (मेडिकल/एम0डी0एस0) में नामांकन लेने वाले छात्रों से यह बंध-पत्र (Bond) लिया जायेगा कि चयन के पश्चात नामांकन नहीं लेने पर उनसे 30 (तीस) लाख रूपये की वसूली की जाएगी ।

iv) राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में पी0जी0 पाठ्यक्रम (मेडिकल/एम0डी0एस0) में नामांकन नहीं लेने/नामांकन के पश्चात बीच सत्र में चिकित्सा महाविद्यालय छोड़ने वाले छात्रों से यह बंध-पत्र (Bond) लिया जायेगा कि नामांकन के पश्चात् पाठ्यक्रम छोड़ने पर उनसे 30 (तीस) लाख रूपये की वसूली की जाएगी तथा इस अवधि में छात्रवृति (Stipend) एवं अन्य भत्ते के रूप में प्राप्त सभी राशि एकमुश्त वापस करनी होगी।

v) पी0जी0 पाठ्यक्रम (मेडिकल/ एम0डी0एस0) में उत्तीर्ण होने के पश्चात तीन वर्षो की आवश्यक सेवा राज्य सरकार के अधीन करने की बाध्यता होगी। छात्रों से यह बंध-पत्र (Bond) लिया जायेगा कि पी0जी0 पाठ्यक्रम (मेडिकल/ एम0डी0एस0) उत्तीर्ण होने के पश्चात राज्य सरकार में तीन वर्षो तक सेवा नहीं देने पर उनसे 30 (तीस) लाख रूपये की वसूली की जाएगी तथा इस अवधि में छात्रवृति (Stipend) एवं अन्य भत्ते के रूप में प्राप्त सभी राशि एकमुश्त वापस करनी होगी।

vi) यदि राज्य सरकार पी0जी0 पाठ्यक्रम के कोर्स समाप्ति के छः माह के अन्दर राज्य सरकार के अधीन सेवा देने में विफल रहती है, तो बंध-पत्र स्वतः समाप्त मानी जाएगी।

179(9)
24/5/18

vii) उपरोक्त प्रावधान के अनुरूप बंध-पत्र (Bond) नये छात्रों से नामांकन के समय ही संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा ले लिया जायेगा। वर्त्तमान में जो नामांकित है, उनसे संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा बंध-पत्र लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। प्राचार्य, बंध-पत्र सम्पादन के उपरांत ही छात्रों के छात्रवृति/मानदेय को भुगतान करेंगे। बंध-पत्र (Bond) के साथ छात्रों से उनके पी0जी0 पाठ्यक्रम एम0बी0बी0एस0/ बी0डी0एस0 से संबंधित तथा यू0जी0 पाठ्यक्रम के लिए I.Sc का अंक-पत्र/जाति प्रमाण-पत्र आदि संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में सुरक्षित रखे जायेंगे।

viii) इसी प्रकार पी0जी0 उत्तीर्ण होने के पश्चात छात्रों को एम0बी0बी0एस0 से संबंधित प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त पी0जी0 से संबंधित अंक-पत्र, प्रमाण-पत्र अदि भी तीन वर्षो की अनिवार्य सेवा अवधि तक के लिए, संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय की अभिरक्षा में रखे जायेंगे। तीन वर्षो की अनिवार्य सेवा अवधि पूर्ण करने के पश्चात अथवा निर्धारित बंधेज राशि जमा करने के पश्चात् ही संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल द्वारा इन्हें वापस किया जायेगा।

ix) प्रस्ताव पर विभागीय संलेख ज्ञापांक-169(9) दिनांक- 18.04.18 पर मंत्रिपरिषद की दिनांक-18.04.18 की बैठक में मद सं0- 12 के रूप में स्वीकृति दी गई है।

आदेश- इस संकल्प को जनसाधारण की जानकारी के लिए झारखण्ड राजपत्र के असाधरण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रतियाॅ सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

24/4/18
(निधि खरे)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञाप सं0:- 9/चि0महा0-07-08/2014 (खण्ड-1) - 179(9)/राँची, दिनांकः- 24/4/18

प्रतिलिपिः- नोडल पदाधिकारी, ई- गजट, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(निधि खरे)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञाप सं0:- 9/चि0महा0-07-08/2014 (खण्ड-1) - 179(9)/राँची, दिनांकः- 24/4/18

प्रतिलिपिः-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। साथ ही अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 200 (दो सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

24/4/18
(निधि खरे)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञाप सं0:- 9/चि0महा0-07-08/2014 (खण्ड-1) -179(9)/राँची, दिनांकः- 24/4/18

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं हक0), झारखण्ड, रांची/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतीयोगिता परीक्षा पर्षद, नामकुम, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ अभियान निदेशक, झारखण्ड, रांची/उपसचिव/संयुक्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ उपायुक्त, धनबाद/जमशेदपुर/रांची/निदेशक, रिम्स, रांची/ प्राचार्य/अधीक्षक, एम0जी0एम0, जमशेदपुर/पी0एम0सी0एच0, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/4/18

(निधि खरे)

सरकार के प्रधान सचिव।